

धारा XVIII : लाइनर कार्गो के लिए नौ-परिवहन व्यवस्था

(पीएम/एसबीडी/ 008)

क: सीएंडएफ, सीआईएफ, टर्नकी/एफ.ओ.आर के संबंध में आयात के लिए अनुबंध

1. (अ) उत्तरी आयरलैंड सहित (आयरे भी) ब्रिटेन के बंदरगाहों, यूरोप के उत्तरी महाद्वीप (जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और भूमध्य समुद्री किनारे वाले महाद्वीपीय बंदरगाहों(आईई फ्रेंच और पश्चिमी इटालियन बंदरगाहों), से भारत के बंदरगाहों के लिए लदान।

विक्रेता को भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश सम्मेलन के सदस्य लाइनों के लिए संबंधित जहाजों से माल के लदान की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि विक्रेता को पता चलता है कि सम्मेलन लाइन्स 'जहाजों पर किसी भी विशिष्ट लदान के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो उसे लदान स्थान उपलब्ध कराने के लिए भारत-पाकिस्तान बांग्लादेश सम्मेलन, कनफरिटी भवन, पूर्व ग्रीनस्टीड, ससेक्स (ब्रिटेन) के साथ मामला उठाना चाहिए और यह जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, को भी सूचित करना चाहिए (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वाहन एन डी -2312, 2448 और 3104)।

विक्रेता को भारत सरकार के अग्रेषणीय एजेंट, मैसर्स शेनकर एंड कंपनी 2000 हैम्बर्ग (तार : शेनकर हैम्बर्ग) के माध्यम से लदान की व्यवस्था करनी चाहिए या उनके पास से एक प्रमाण पत्र इस प्रभाव के लिए प्राप्त करना चाहिए कि लदान की, परिवहन मंत्रालय, (ट्रांसचार्ट) नई दिल्ली, के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की गई है।

ख) पूर्वी इटली और यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक बंदरगाहों से लदान

विक्रेता को निम्नलिखित भारतीय सदस्य लाइनों से संबंधित जहाजों से माल के लदान की व्यवस्था करनी चाहिए;

1. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. स्कंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड
3. भारतीय स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड

उपयुक्त भारतीय जहाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके अनुपलब्धता की स्थिति में व्यवस्था मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, विक्रेता को समय-समय पर प्रत्येक परेषण/खेप की तत्परता के बारे में कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में मैसर्स स्कीमर और कंपनी 2000 हैम्बर्ग (तार : शेनकर कं. हैम्बर्ग) को आवश्यक स्थिति के लिए पर्याप्त सूचना देना चाहिए, और जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वाहन एन डी -2312, 2448) को एक प्रति पृष्ठांकित करनी चाहिए।

विक्रेता को भारत सरकार के अग्रेषणीय एजेंट, मैसर्स शेनकर एंड कंपनी 2000 हैम्बर्ग (तार : शेनकर हैम्बर्ग) के माध्यम से लदान की व्यवस्था करनी चाहिए या उनके पास से एक प्रमाण पत्र इस प्रभाव के लिए प्राप्त

करना चाहिए कि लदान की, परिवहन मंत्रालय, (ट्रांसचार्ट) नई दिल्ली, के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की गई है।

(ग) पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से लदान

(i) पोलैंड से आयात

इस अनुबंध के अंतर्गत लदान, भारत गणराज्य की सरकार और पोलिश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौते, शिपिंग सहयोग, दिनांक 27.6.1960 के अनुसार जैसा कि अद्यतन संशोधित किया गया है, दो दलों के राष्ट्रीय ध्वज लाइनों और तीसरे झंडा सम्मेलन लाइनों के जहाजों द्वारा किया जाएगा।

(ii) चेकोस्लोवाकिया से आयात

इस अनुबंध के अंतर्गत लदान, भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच नौपरिवहन में दिनांक 03/11/1978 को हस्ताक्षरित और 19.12.1979 को अनुमोदित सहयोग पर समझौते के अनुसार जैसा कि अद्यतन संशोधित किया गया है, दो दलों के राष्ट्रीय ध्वज लाइनों और तीसरे झंडा सम्मेलन लाइनों के जहाजों द्वारा किया जाएगा।

विक्रेता द्वारा लदान व्यवस्था गडिनिया स्थित भारतीय शिपिंग लाइनों के स्थानीय प्रतिनिधि C/o मोरस्का एजेंसिया इव्लू. ग्दयनी, ग्दयनी, उल, पुलस्किगों 8, पी ओ बॉक्स III-10 246; गडिनिया (पी ओ —और) - टेलेक्स: एम एजी , पी एल. 054301, फोन: 207621), के साथ परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए, जिसको अनुबंध संख्या, कार्गो की प्रकृति, मात्रा, लदान/निर्वहन के बंदरगाह, सरकारी परेषिती का नाम, प्रत्येक खेप आदि की तत्परता की अनुमानित तारीख आदि के विवरण कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए उसकी एक प्रति जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वाहन एनडी-2312, 2448 और 3104) को पृष्ठांकित करनी चाहिए।

(घ) रूस और सी.आई.एस. के अन्य सदस्य देशों से लदान

इस अनुबंध के तहत लदान भारत गणराज्य की सरकार और रूस और सी.आई.एस. के अन्य सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते के अनुसार मर्चेट शिपिंग पर, भारत- सी.आई.एस. शिपिंग सेवा जहाजों द्वारा की जानी चाहिए।

(ङ) जापान से लदान

माल की लदान भारतीय जहाजों द्वारा अधिकतम संभावित सीमा तक में किया जाना चाहिए बशर्ते की इस विषय पर न्यूनतम 50% से कम नहीं होना चाहिए।

विक्रेता को माल के लदान की व्यवस्था जापान, टोक्यो में भारतीय दूतावास के साथ परामर्श से करनी चाहिए जिसे अनुबंध संख्या, मात्रा, कार्गो की प्रकृति, लोडिंग/निर्वहन के बंदरगाह, सरकारी परेषिती का नाम, प्रत्येक खेप आदि की तत्परता की अनुमानित तारीख आवश्यक स्थिति के लिए कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट: इस तरह के ठेके की प्रतियां, भारत के (वाणिज्यिक) दूतावास जापान, टोक्यो में, और शिपिंग समन्वय अधिकारी, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली दोनों के लिए पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(च) ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मिस्र से लदान

विक्रेता माल के लदान की भारतीय झंडा जहाजों द्वारा अधिकतम संभावित सीमा तक लेकिन इस विषय में न्यूनतम 50% के लिए व्यवस्था करेगा, उपयुक्त भारतीय जहाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए विक्रेता को कम से कम छह सप्ताह पहले प्रत्येक खेप की तत्परता हेतु पर्याप्त नोटिस देना होगा शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नौवहन सदन, 245 के लिए, मैडम कामा रोड, मुंबई 400 021 (तार: शिप इंडिया, मुंबई) और उसकी एक प्रति जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टैलेक्स: वाहन एनडी-2312, 2448 और 3) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(छ) पाकिस्तान से लदान

कार्गो की लदान भारतीय जहाजों द्वारा अधिकतम संभावित सीमा तक में की जानी चाहिए बशर्ते की इस विषय पर न्यूनतम 50% से कम नहीं होना चाहिए।

विक्रेता द्वारा लदान व्यवस्था एमआईएस मोगूल लाइन लिमिटेड 16-बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400023 के साथ परामर्श द्वारा की जानी चाहिए (तार : मोगूल बम्बई; टैलेक्स 011-4049 मोगूल), जिसको अनुबंध संख्या, कार्गो की प्रकृति, मात्रा, लदान/निर्वहन के बंदरगाह, सरकारी परेषिती का नाम, प्रत्येक खेप आदि की तत्परता की अनुमानित तारीख आदि के विवरण कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए उसकी एक प्रति जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टैलेक्स: वाहन एनडी-2312, 2448 और 3104 और 3) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(ज) अमेरिका के अटलांटिक और खाड़ी बंदरगाहों से लदान

विक्रेता को माल के लदान की व्यवस्था भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश-सीलोन और बर्मा के जावक फ्रेट सम्मेलन के सदस्य लाइनों से संबंधित जहाजों से करनी चाहिए। यदि विक्रेता को पता चलता है कि सम्मेलन लाइन्स जहाजों पर किसी भी विशिष्ट लदान के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो वह इसे उपलब्ध कराने के लिए भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश-सीलोन और बर्मा जावक फ्रेट सम्मेलन, 19, रेक्टर स्ट्रीट, न्यूयॉर्क-NY 10006 संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उठाना चाहिए, और साथ में जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टैलेक्स: वाहन एनडी-2312, 2448 और 3) को भी सूचित किया जाना चाहिए।

(झ) सेंट लॉरेस और पूर्वी कनाडियन बन्दरगाहों से लदान

विक्रेता को निम्नलिखित शिपिंग लाइनों से संबंधित जहाजों से माल के लदान की व्यवस्था करनी चाहिए:

-

- (1) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- (2) स्कंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड

यदि विक्रेता को पता चलता है कि सम्मेलन लाइन्स जहाजों पर किसी भी विशिष्ट लदान के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो उसे शिपिंग समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वाहन एनडी-2312, 2448 और 3104) को तुरंत सूचित करना चाहिए, ताकि संबंधित शिपिंग लाइनों से वैकल्पिक रूप से माल उठाने की व्यवस्था की जा सके।

(ट) संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और अन्य क्षेत्रों के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों से लदान जो कि ऊपर विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए हैं

विक्रेता माल के लदान की भारतीय जहाजों द्वारा अधिकतम संभावित सीमा तक लेकिन इस विषय में न्यूनतम 50% के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, उपयुक्त भारतीय जहाज की उपलब्धता का पता लगाने और उनके अनुपलब्धता की स्थिति में व्यवस्था देने के प्रयोजन के लिए, विक्रेता को अनुबंध संख्या, कार्गो की प्रकृति, मात्रा, लोडिंग/निर्वहन के बंदरगाह, सरकारी परेषिती का नाम और प्रत्येक खेप आदि की तत्परता की अनुमानित तारीख आदि के विवरण कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में जहाजरानी समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वीए एएनएनडी-2312, 2448 और 3104) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2.0 लदान का बिल

(i) सीआईएफ/सीएंडएफ टर्नकी लदान

नीचे दिए गए अनुसार लदान के बिल में "नौभार परेषक" और "परेषिती" इंगित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए : -

नौभार परेषक : संबंधित सीआईएफ/सीएंडएफ टर्नकी आपूर्तिकर्ता ।

परेषिती : अनुबंध में परेषिती के ब्यौरे के अनुसार ("पोर्ट परेषिती" और "अंतिम परेषिती" दोनों के नाम और पते संकेत किए जाने चाहिए।

(ii) एफ.ओ.आर लदान

लदान के बिल में "नौभार परेषक" और "परेषिती" इंगित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार तैयार किया जाना चाहिए: -

नौभार परेषक : संबंधित एफ.ओ.आर आपूर्तिकर्ता, । परेषिती : आपूर्तिकर्ता के आदेश पर भारतीय एजेंट।

ध्यान दें:-

1. इससे अधिक "क्रेता" और "अंतिम परेषिती" के नाम लदान बिल के मुख्य भाग में "अधिसूचित भाग" या एक टिप्पणी के रूप में प्रकट होने चाहिए।
2. माल भाड़ा राशि और छूट का संकेत देने वाले लदान के बिल की दो अपरक्राम्य प्रतिलिपियां, यदि किसी को अनुमति है, प्रत्येक खेप के लदान के प्रभावी होने के बाद, नौवहन समन्वय अधिकारी, नौवहन और परिवहन (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली के मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।
3. अनुबंध के तहत माल के लदान के लिए विक्रेता को अधिक आयु वर्ग के जहाजों के प्रयोग से बचना चाहिए और यदि ऐसा प्रयोग होता है, अतिरिक्त बीमा की लागत, यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी।

ख: आयात के लिए एफ.ओ.बी/एफ.ए.एस अनुबंध के संबंध में

1. विक्रेता द्वारा लदान व्यवस्था नीचे उल्लेखानुसार नौवहन समन्वय अधिकारी(चार्टर्ड विंग), नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट, नई दिल्ली; टेलेक्स: वीए एएनएनडी-2312, 2448 और 3104) और उनके संबंधित अग्रेशन एजेंटों/प्रत्याशियों के माध्यम से की जाएगी, जिनको विक्रेता द्वारा माल की लदान के लिए तत्परता के बारे में समय-समय पर, कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में आवश्यक स्थिति हेतु शिपिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए।

क्षेत्र	अग्रेषण एजेंट/नामांकित व्यक्ति
(क) उत्तरी आयरलैंड सहित (आयरे भी) ब्रिटेन के बंदरगाहों, यूरोप के उत्तरी महाद्वीप (जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और भूमध्य समुद्री किनारे वाले महाद्वीपीय बंदरगाहों (उदाहरणार्थ फ्रेंच और पश्चिमी इटालियन बंदरगाहों और एट्रियाटिक बंदरगाह भी	मैसर्स शेनकर डचलैंड ए जी, बेलडन मुहरे 5 20457 हैम्बर्ग, जर्मनी टेलीफोन नं: +4940 36135-351 फैक्स नं : +4940 36135-509 ई-मेल kay.buedinger@schenker
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा	मैसर्स ओपीटी, प्रवासी परियोजना, परिवहन इंक, 46, सेलर्स स्ट्रीट, कियर्नी, एन.जे. 07032, संयुक्त राज्य अमेरिका टेलीफोन: 201/998-7771 टेलीफोन: 573-3586 फैक्स: 201/998-78
(ग) जापान	प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) भारतीय दूतावास, टोक्यो, जापान, (तार : इंडांबेसी/INDEMBASSY टोक्यो) टेलेक्स: इंडांबेसी/INDEMBASSY जे 24850, टेलीफोन - 262 - 2391
(घ) ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र	शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, 'नौवहन भवन' 229/232 मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 (तार : जहाज भारत मुंबई/SHIP INDIA BOMBAY) टेलेक्स: 31-2209 एस.सी.आई.डी. इन टेलीफोन: 232666, 232785
(ङ) रूस और सी.आई.एस. के अन्य सदस्य देश	सचिव, भारत-सी.आई.एस. शिपिंग सेवा, के/ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, 'नौवहन भवन ' 245, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021. (तार : जहाज भारत मुंबई सोविंद/SOVIND जहाज के लिए जहाज) टेलेक्स: 31-2209 एस.सी.आई.डी. इन टेलीफोन: 23
(च) पोलैंड	सचिव, इंडो-पोलिश शिपिंग सेवा, के/ऑ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'नौवहन भवन' 245, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021. (तार : इंडोपोल/INDOPOL के लिए जहाज भारत मुंबई) टेलेक्स: 31-2209 एस.सी.आई.डी. टेलीफोन सं.: 23
(छ) पाकिस्तान	मोगुल-लाइन लिमिटेड, 16, बैंक स्ट्रीट, मुंबई फोर्ट - 400023 (तार : मोगुल मुंबई) टेलेक्स: 011-4049 (मोगुल) टेलीफोन: 252785 ॥
(ज) अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से ऊपर उल्लेख नहीं जो कि ऊपर विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए हैं	नौवहन समन्वय अधिकारी, नौवहन समन्वय अधिकारी, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली, (तार : ट्रांसचार्ट,

लदान के बिल

लदान के बिल में "नौभार परेषक" और "परेषिती" इंगित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार तैयार किया जाना चाहिए : -

"नौभार परेषक" : भारत सरकार।

परेषिती : "अनुबंध में परेषिती के ब्यौरे के अनुसार ('पोर्ट परेषिती' और 'अंतिम परेषिती' का नाम और पता दोनों संकेत किए जाने चाहिए।)

3. माल भाड़ा राशि और छूट का संकेत देने वाले लदान के बिल की दो अपरक्राम्य प्रतिलिपियां, यदि किसी को अनुमति है, प्रत्येक खेप के लदान के प्रभावी होने के बाद, नौवहन समन्वय अधिकारी, नौवहन और परिवहन (चार्टर्ड विंग), नई दिल्ली के मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

4. अनुबंध के तहत माल के लदान के लिए विक्रेता को अधिक आयु वर्ग के जहाजों के प्रयोग से बचना चाहिए और यदि ऐसा प्रयोग होता है, अतिरिक्त बीमा की लागत, यदि कोई हो, विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी।
